

कार्यालय कलेक्टर जिला रायगढ एवं पदेन उप सचिव छ0ग0शासन एवं आपदा प्रबंधन विभाग
प्रारंभिक अधिसूचना

दिनांक 22 जुलाई 2019

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2018-19 - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे अनुसूची के कालम (1) से (5) में दर्शित भूमि की अनुसूची के कालम-7 में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सर्वसंबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद द्वारा अनुसूची के कालम (6) में उल्लिखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का प्रकार								धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण	
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नंबर एवं अर्जित रकबा (हे.मे)							
1	2	3	4				5	6		
रायगढ	घरघोडा	टेरम	ख0नं0	रकबा	ख0नं0	रकबा	ख0नं0	रकबा	महाप्रबंधक, एन0टी0पी0 सी0तलाईपाली	औरईनुडा से टेरम तक सडक चौड़ाकरण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण
			335/1	0.232	508/3	0.016	539	0.008		
			337/2	0.052	542/7	0.032	540	0.094		
			336	0.121	509/1	0.078	536/1	0.081		
			337/1	0.008	509/2	0.012	541/1	0.065		
			337/3	0.040	509/4	0.053	542/1	0.183		
			345	0.088	514/3	0.078	542/2	0.050		
			448/2	0.036	516	0.223	542/12	0.056		
			448/3	0.100	526/4/क	0.016	543/2	0.061		
			584/1	0.036	517	0.175	542/3	0.052		
			475	0.090	518/1	0.169	573	0.008		
			518/2	0.052	524/3	0.008	543/1	0.045		
			471/2	0.130	536/3	0.122	542/5	0.044		
			542/11	0.044	348/2	0.120	0	0		
कुल:-			कुल-38		कुल रकबा 2.878 हे0					

(2) यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता, लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाघात निर्धारण के बारे में अपना दावा/आपत्ति लिखित में कलेक्टर को स्वयं अथवा अपने अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम की धारा 2013 की धारा की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।

(3) भूमि का नक्शा/प्लान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व घरघोडा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(4) प्रस्तावित भू-खण्ड से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।

(5) प्रस्तावित प्रयोजन के भू-अर्जन के लिये कराये गये सामाजिक समाघात अध्ययन के अनुसार भूमि का अर्जन अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना प्रस्तावित है तथा भूमि अर्जन से सामाजिक समाघात की तुलना में सामाजिक लाभ अधिक होना पाया गया है।

(6) प्रस्तावित भू-अर्जन के लिये अधिनियम 2013 की धारा 43 के तहत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व घरघोडा जिला रायगढ को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक नियुक्त किया गया है।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(यशवंत कुमार)

कलेक्टर रायगढ एवं पदेन उप सचिव
छ.ग.शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग